मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 12/09/2023

क्र. IPI/5/0037/2022/ए-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स व्ही. ई. कमर्शियल व्हीकल्स लि. द्वारा रूपये 1,120.00 करोड के स्थाई पूंजी निवेश से विद्यमान चार औद्योगिक इकाईयों में विस्तार/आधुनिकीकरण संबंधी प्रस्ताव पर निम्नानुसार सुविधाये दी जाये -

1. व्ही. ई. कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड- बगरोदा यूनिट, औद्योगिक क्षेत्र बगरोदा, जिला भोपाल (DIPIP2209280001)

i. **निवेश प्रोत्साहन सहायता** - उद्योग सवंर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित) में प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता परियोजना अंतर्गत यंत्र-संयंत्र तथा भवन में किये गये निवेश पर 40 प्रतिशत की स्थिर दर से, बिना किसी सीमा के, शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाये। परियोजना को निर्यात गणक का लाभ पृथक से पात्रतानुसार दिया जाये।

ii. **विद्युत टैरिफ में रियायत-** परियोजना अंतर्गत स्थापित विद्युत कनेक्शन पर विस्तार हेतु लिए गये अतिरिक्त भार/ नवीन विद्युत कनेक्शन पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्ष हेतु प्रचलित विद्युत दर पर रुपये 1/- प्रति यूनिट की छूट दी जाये। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह छूट विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत टैरिफ पर दी जा रही छूट यदि कोई हो तो, के अतिरिक्त होगी। उक्त छूट की प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी द्वारा संबंधित इकाई को की जायेगी।

iii. **विद्युत शुल्क से छूट-** परियोजना अंतर्गत स्थापित विद्युत कनेक्शन पर विस्तार हेतु लिए गए अतिरिक्त भार/नवीन विद्युत कनेक्शन पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 5 वर्ष हेतु विद्युत शुल्क से छूट प्रदान की जाये।

2. ऑयशर ट्रक एवं बस यूनिट औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर सेक्टर-1, जिला धार (DIPIP2209280002)

निवेश प्रोत्साहन सहायता - उद्योग सवंर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित) में प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता परियोजना अंतर्गत यंत्र-संयंत्र तथा भवन में किये गये निवेश पर 40 प्रतिशत की स्थिर दर से, बिना किसी सीमा के, शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाये। परियोजना को निर्यात गणक का लाभ पृथक से पात्रतानुसार दिया जाये।

3. व्ही. ई. पॉवरट्रेन यूनिट पीथमपुर, जिला धार (DIPIP2209280003)

निवेश प्रोत्साहन सहायता - उद्योग सवंर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित) में प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता परियोजना अंतर्गत यंत्र-संयंत्र तथा भवन में किये गये निवेश पर 40 प्रतिशत की स्थिर दर से, बिना किसी सीमा के, शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाये। परियोजना को निर्यात गणक का लाभ पृथक से पात्रतानुसार दिया जाये।

4. ऑयशर इंजीनियरिंग एवं कम्पोनेंट यूनिट, जिला देवास (DIPIP2209280004)

निवेश प्रोत्साहन सहायता - उद्योग सवंर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित) में प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता परियोजना अंतर्गत यंत्र-संयंत्र तथा भवन में किये गये निवेश पर 40 प्रतिशत की स्थिर दर से, बिना किसी सीमा के, शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाये। परियोजना को निर्यात गणक का लाभ पृथक से पात्रतानुसार दिया जाये।

5. उक्त सभी परियोजनाओं को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक से प्रतिबद्ध निवेश के साथ 3 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जाये।

निरंतर......

6. इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के उपरांत एमपीआईडीसी में आवेदन प्रस्तुत करने पर स्वीकृत सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा।

7. सभी परियोजनाओं को उद्योग सवंर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ विहित शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगी।

8. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(संजय कुमार शुक्ल)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

पृ. क्र. IPI/5/0037/2022/ए-ग्यारह

भोपाल, दिनांक 12/09/2023

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, इन्दौर/उज्जैन/भोपाल संभाग इन्दौर/उज्जैन/भोपाल।
4. कलेक्टर, जिला- धार/देवास/भोपाल।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, मेसर्स व्ही. ई. कमर्शियल व्हीकल्स लि. 3rd Floor Select Citywalk A-3, District Center, Saket, New Delhi - 110017.

- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग